<u>आयकर अपीलीय अधिकरण,</u>

<u>इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर</u>

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 456/इंदौर/ 2023

निर्धारण वर्ष : 2012-13

पंकज गुप्ता, ई-2, रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी (आईटी एंड टीपी), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. एडीआईपीजी 8728 क्यू PAN -ADIPG8728Q		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	08.08.2024
उद्धघोषणा तिथि :	09.08.2024

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), अहमदाबाद-13 के आदेश दिनांक 19.09.2023 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील के अभिलेखों का अवलोकन करने पर मैंने पाया कि इस प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने एक पक्षीय (Ex Parte) आदेश पारित किए हैं । मैंने पाया कि निर्धारिती द्वारा यह दावा किया गया है कि

विद्वान निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को धारा 148 के अधीन अभिलिखित कारणों की प्रति संबंधित दस्तावेजों के साथ उपलब्ध नहीं कराई थी । निर्धारिती द्वारा अपील के आधारों में यह भी दावा किया है कि निर्धारिती एक अनिवासी भारतीय होने के कारण उसे विद्वान निर्धारण अधिकारी तथा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा जारी नोटिस प्राप्त नहीं हुए थे । अतः निर्धारिती विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था । अतः निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । इस संबंध में विद्वान विभागीय प्रतिनिधि से पूछे जाने पर उन्होंने निवेदन किया कि न्याय के हित में तथा निष्पक्ष व्यवहार की दृष्टि में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि इस अपील को विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान क्षेत्राधिकार (jurisdictional) निर्धारण अधिकारी की फाईल में वापिस भेजना उचित समझता हूँ । मैं तदनुसार आदेश करता हूँ । निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है ।

3. परिणामतः निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 09.08.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 09.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल